उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 353270/2023/16-1099/1124/20199(**part**-1)

लखनऊ दिनांक 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति उ0प्र0, प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 5104/प्र0फी0नि0स0 /2023, दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठयक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) के लिये मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

4- शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मानक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः विश्लेषण हेतु दिनांक 12.07.2023 को आहूत बैठक मे समिति द्वारा जनमानस की परेशानियों, छात्रहित/जनहित/छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा मानक शुल्क में बढ़ोतरी न किये जाने के अनुरोध, कोविड-19 महामारी के

कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने एवं 'शिक्षा का व्यावसायिकरण सम्बन्धी जाँच समिति' द्वारा की गयी अपेक्षा को ध्यान में रखकर समिति कार्यालय द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी आदेश संख्या-5104/प्र0फी0नि0स0/2023 दिनांक 17.06.2023 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निर्धारित मानक शुल्क व शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2022-23 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Signed by कल्पना अवस्थी
Date: 20-07-2023 17:25:56
Reason: Approved
(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2.निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3.सचिव,प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4.विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उत्तरप्रदेश शासन।
5.प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग।
6.सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
7.सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
8.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव